

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक - 40(17), दिनांक - 13.01.2017 के द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में संविदा/टेन्योर पर कार्यरत सभी स्तर के चिकित्सक शिक्षकों जिनकी सेवा अवधि 31.08.2017 के पूर्व समाप्त हो रही है, की सेवा 31.08.2017 अथवा नई/नियमित नियुक्ति होने तक अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर (इनमें से जो पहले हो) विस्तार किया जाता है। जिनकी सूची निम्न प्रकार है:-

क्र० संख्या	नाम एवं पदनाम	विभाग	अवधि विस्तार
1	डा० अवधेश कुमार, सहायक प्राध्यापक	चर्म एवं रति रोग विभाग	31.08.2017

ह०/-

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक- 594/17,

मुज०, दिनांक- 20/3/17

प्रतिलिपि:- उक्त सभी संबंधित चिकित्सक व शिक्षकों श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित विभागाध्यक्ष, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज० को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज० को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि:- प्रभारी प्राध्यापक (प्रशासन)/बरसर/पुस्तकालय सचिव/लेखापाल/विपत्र लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मुज० को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, वै०दा०नि०को० वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को उनके पत्रांक 40(17), दिनांक 13.01.2017 के क्रम में प्रेषित।


प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर
20/3/17